भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2047

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया गया

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का निजीकरण

2047. श्री हाजी फजलुर रहमानः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निजीकरण का कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या बैंकों के उक्त निजीकरण से छोटे व्यापारियों, किसानों और कमजोर वर्गों के लिए ऋण की उपलब्धता प्रभावित होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) और (ख): वित्तीय वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों (पीएसबी) के निजीकरण करने और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के रणनीतिक विनिवेश की नीति को मंजूरी देने की मंशा की घोषणा की थी। नीति की मुख्य बातों में यह उल्लेख किया गया है निजी पूंजी के निवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विकास में समर्थ बनाने सहित इस नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास एवं नये रोजगार और सामाजिक क्षेत्र के वित्तपोषण एवं सरकार के विकास संबंधी कार्यक्रमों में योगदान देना है। बैंकों का निजीकरण, जो छोटे व्यापारियों, किसानों और कमजोर वर्गों को ऋण की उपलब्धता प्रभावित करेगा, के संबंध में निजी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी घरेलू वाणिज्यिक बैंक वर्तमान में उपर्युक्त अनुभाग/खंड के लिए ऋण का लाभ दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पीवीबी सहित सभी वाणिज्यिक बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक के अधिदेशित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत छोटे व्यापारियों, किसानों और कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करते हैं।

*****